आरटीआई मामला

ओ-17035/2/2018-एचएफए-IV (एफटीएस-9056633)

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

(एचएफए-IV अनुभाग)

निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108

दिनांक :28 मार्च, 2019

सेवा में,

श्री चांद मोहम्मद खान,
पुत्र - श्री मोहम्मद यासीन,
1715, अंजुमन चौक,
पहाड़ी भाजला, दिल्ली-110006.

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय के दिनांक 15.03.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. आरटीआई/2963/ 2019-पीएमआर द्वारा आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा (6)3 के तहत अन्तरित और सीपीआईओ एवं यूएस (एचएफए-IV) के कार्यालय में प्राप्त, दिनांक 11.03.2019 के आपके आरटीआई आवेदन का अवलोकन करने का निदेश हुआ है जिसमें पीएमएवाई (शहरी) मिशन के सीएलएसएस घटक से संबंधित सूचना मांगी गई है। एचएफए-4 प्रभाग के पास यथा उपलब्ध सूचना नीचे दी जा रही है:-

- भारत सरकार (आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय) ने दिनांक 25 जून 2015 को सभी पात्र परिवारों/ लाभार्थियों को आवास प्रदान करने में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) {पीएमएवाई (यू) मिशन का शुभारंभ किया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) के तहत ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: -

विवरण	**ईडब्लयूएस**	**एलआईजी**	**एमआईजी-I**	**एमआईजी-II**
पारिवारिक आय (₹)	3,00,000 तक	3,00,001-6,00,000	6,00,001-12,00,000	12,00,001-18,00,000
अधिकतम ऋण राशि के लिए सब्सिडी की पात्रता (₹)	6,00,000	6,00,000	9,00,000	12,00,000
अधिकतम ऋण कार्यकाल	20 **वर्ष**			
फर्शी क्षेत्र (वर्ग मीटर)	30	60	160	200
ब्याज सब्सिडी प्रति वर्ष	6.50%		4.00%	3.00%
अधिकतम ब्याज सब्सिडी (₹)	2,67,280		2,35,068	2,30,156
ऋण का उद्देश्य	खरीद , पुनःखरीद, निर्माण, विस्तार,		खरीद ,पुनःखरीद, निर्माण,	

जारी...

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) मिशन के ऋण आधारित सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) घटक के कार्यान्वयन के लिए, मंत्रालय ने प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं (पीएलआई) को सब्सिडी जारी करने हेतु दो केन्द्रीय नोडल एजेंसियों अर्थात् राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कॉरपोरेशन लि0 (हडको) की पहचान की है। केन्द्रीय नोडल एजेंसियों ने मिशन के कार्यान्वयन के लिए प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

ऋण सब्सिडी प्राप्त करने का इच्छुक आवेदक, किसी भी प्राथमिक ऋणदाता संस्था (पीएलआई) [बैंक, एचएफसी आदि] से संपर्क कर सकता है जिसने इन दो केन्द्रीय नोडल एजेंसी (भरे हुए मूल्यांकन फार्म की प्रति के साथ अथवा उसके बिना,जिसमें सर्वेक्षण आईडी/मूल्यांकन आईडी दर्शाया गया हो) में से किसी एक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आवेदक को संबंधित बैंक/एचएफसी की "सम्यक तत्परता" के तहत यथा निर्धारित दस्तावोजो और अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होता है बशर्ते कि वह पीएमएवाई (शहरी) मिशन के स्कीम दिशानिर्देशों के तहत अन्यथा पात्र हो। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाली उन प्राथमिक ऋणदाता संस्थानों की सूची मंत्रालय की वेबसाइट http:/mohua.gov.in/cms/credit-linked-subsidy-scheme.php तथा इसके साथ-साथ एनएचबी तथा हडको की वेबसाइट पर भी दी गई है।

आवेदक को सीएलएसएस के तहत आवास ऋण के लिए पात्र माने जाने पर संबंधित पीएलआई उनके आवेदन को केंद्रीय नोडल एजेंसी (सीएनए) को ब्याज सब्सिडी जारी करने के लिए भेज देगा, जिसके साथ उसने ब्याज सब्सिडी जारी करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीएनए जांच के बाद पीएलआई के माध्यम से आवेदक के आवास ऋण खाते में सीधे ब्याज सब्सिडी को जारी करेगा। चूंकि ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन पीएलआई के माध्यम से सीएनए को प्रस्तुत किया जाता है, सब्सिडी जारी करने में किसी भी विलंब के मामले में, आवेदक विलंब की सूचना/कारण के लिए संबंधित पीएलआई से संपर्क कर सकता है।

ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस स्कीम के अंतर्गत दिनांक 17.06.2015 को अथवा उसके पश्चात प्राथमिक ऋणदाता संस्था (पीएलआई) द्वारा स्वीकृत और संवितरित मौजूदा आवास ऋण तथा एमआईजी के लिए सीएलएसएस स्कीम के अंतर्गत दिनांक 01.01.2017 को अथवा उसके पश्चात प्राथमिक ऋणदाता संस्था (पीएलआई) द्वारा स्वीकृत और संवितरित मौजूदा आवास ऋण विचारार्थ अनुमत्य हैं बशर्ते कि वे इन स्कीमों के अंतर्गत अन्यथा पात्र हों।

ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस और एमआईजी के लिए सीएलएसएस हेतु पीएमएवाई (यू), मिशन के दिशानिर्देशों और प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट के http://mohua.gov.in/cms/credit-linked-subsidy-scheme.php और http://mohua.gov.in/cms/hfaguidelinesmanagement.php लिंक पर उपलब्ध है।

जारी...

2. यदि आप उपर्युक्त सूचना से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर अपीलीय प्राधिकारी से अपील कर सकते हैं। अपीलीय प्राधिकारी का नाम और पता निम्नानुसार है:-

श्री ऋषि कुमार, निदेशक(एचएफए-4),
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, कमरा सं. 222, 'जी' विंग, (एनबीओ),
निर्माण भवन, नई दिल्ली-110108.

भवदीय,

राहुल

(राहुल माहना)
अवर सचिव एवं सीपीआईओ (एचएफए-4)
दूरभाष-23061285

प्रति प्रेषित

i. अवर सचिव एंव सीपीआईओ (श्री प्रवीण कुमार), प्रधान मंत्री कार्यालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ।
ii. अनुभाग अधिकारी (पीआई प्रकोष्ठ), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन को सूचनार्थ।
iii. अनुभाग अधिकारी (आईटी सेल), आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, निर्माण भवन को इसे मंत्रालय की वेबसाइट पर डालने के लिए।